Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बूंदी में केन्द्रीय सहकारी बैंक का शाखा प्रबन्धक 5 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *28 अप्रेल गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बूंदी इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते विशिष्ट जैन शाखा प्रबन्धक, दी बूंदी सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड, शाखा दबलाना, जिला बूंदी को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बूंदी इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके पिता की मृत्यु के पश्चात बैंक खाते में जमा राशि को नोमिनी को दिलवाने की एवज में विशिष्ट जैन शाखा प्रबन्धक, दी बूंदी सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड, शाखा दबलाना, जिला बूंदी द्वारा **5 हजार रूपये** रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी **कोटा के पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्वत** के सुपरविजन में एसीबी बूंदी के **उप अधीक्षक पुलिस श्री ज्ञानचंद** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये विशिष्ट जैन पुत्र श्री रामराज जैन निवासी चैनराय जी का कटला, नागदी बाजार, बूंदी हाल शाखा प्रबन्धक, दी बूंदी सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड, शाखा दबलाना, जिला बूंदी को परिवादी से **5 हजार रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा उसके आवास एवं अन्य ठिकानो पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।